न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
13/2023	प्रा.पत्र136एल.आर.ए.	16.02.2023	13.03.2024

1. अर्जुनसिह पुत्र सांवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जसरासर तहसील व जिला चूरू हाल गौशाला बास वार्ड संख्या–33 सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू राज.।

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–अप्रार्थी–

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री महेन्द्रन्यौल एडवोकव प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. ए. का पेश कर निवेदन किया गया कि

प्रार्थी ग्राम जसरासर तहसील व जिला चूरू का मूल निवासी है तथा वर्तमान में गौशाला बास वार्ड संख्या–33 सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू राज. का स्थाई निवासी हि जिसके खातेदारी खेत खसरा संख्या 1029/321 तादादी 1.8970 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा का खातेदार है। प्रार्थी के पिता का प्रार्थी की छोटी उम्र के समय ही मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी का घरेलू नाम अरविन्द सिंह के नाम से पुकारे जाने के कारण विरासतन नामान्तरण दर्ज होने के समय प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के समय सहवन से अर्जुनसिंह के स्थान पर प्रार्थी का नाम अरविन्द सिंह दर्ज हो गया। जो एक सहवन से एक लिपिकीय भूल हो गया। उसी नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबदी में वर्तमान तक चालु है जबकि राजस्व रिकॉर्ड को छोड़कर सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र सांवर सिंह दर्ज है व यही प्रार्थी का वास्तविक नाम है।

प्रार्थी के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व शिक्षा से सम्बन्धित दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह है। प्रार्थी के दस्तावेजी नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से सम्बन्धित योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इसलिए गलत बने नाम को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम अर्जुनसिंह पुत्र सांवरसिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम

अर्जुनसिंह पुत्र सांवरसिंह ही है अर्जुनसिंह व अरविन्दसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थी का नाम अरविन्दसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होने पर अधिवक्ता प्रार्थी की सिधी बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार चूरू की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, चूरू की अभिशंषा दिनांक 16.01.2024 एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम अरविन्द के स्थान पर अर्जुनसिंह शुद्ध करने का आदेश फरमावें।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपथ –पत्र प्रस्तुत दस्तावेजों व जांच रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2074 रोही ग्राम जसरासर खसरा नम्बर 1029/321 में प्रार्थी का नाम अरविन्दसिंह पुत्र सांवरसिंह अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र सांवरसिंह है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जसरारस में अर्जुनसिंह व अरविन्दसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार अर्जुनसिंह व अरविन्दसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है व प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनसिंह ही है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अरविन्दसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह किये जाने की अभिशंसा की है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है तथा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं जांच रिपोर्ट व अनुशंषा तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि वाके रोही जसरासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको सही व दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहींहै। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या खसरा नम्बर 1029/321 तहसील चूरू में अंकित प्रार्थी खातेदार का नाम अरविन्दसिह के स्थान पर अर्जुनसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:27 IST
Reason: SelfAttested

(साक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू